प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम Office of the Prl.Accountant General (Audit II), Kerala, Thiruvananthapuram

सं.प्रमले (लेप)II/हिंदी कक्ष/निमलेप/ रा.भा.भारती विशेषांक /2024-25 दिनांक: 06-02-2025

परिपत्र सं / Circular No 43

विषय: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की पत्रिका 'राजभाषा भारती' के विशेषांक के लिए लेख आमंत्रित करने के संबंध में।

Sub: Inviting articles for special edition of 'Rajbhasha Bharati' - Journal of Department of Official Language, Ministry of Home affairs - reg

भारत के संविधान की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अपनी पत्रिका 'राजभाषा भारती' का स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान पर आधारित विशेषांक के लिए निम्न विषयों पर लेख आमंत्रित किए गए हैं।

Articles on the following topics have been invited by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the special edition of its journal 'Rajbhasha Bharti' based on the contribution of women in freedom struggle and in the making of the Constitution on the occasion of the diamond jubilee of the Constitution of India.

- 1. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान
- 2. भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका
- 3. भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार
- 4. संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 का महत्व।

निबंधन एवं शर्तें / Terms and conditions

- लेख मंगल फोन्ट में टाईप किए हुए हो / Article should be typed in Mangal font
- व्याकरणिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही हो / should be grammatically and factually correct
- लेख अधिकतम 3000 शब्दों के हो। शोध से जुड़े लेखों में 5000 शब्दों तक हो सकते हैं / Articles may contain maximum of 3000 words. Articles related to research may contain words upto 5000.
- पत्रिका में लेखों के प्रकाशन के संबंध में अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग का होगा ।/ Final decision regarding the publication of article in the journal will be taken by the Department of Official Language

चयनित शोध-लेखों के लेखकों को नियमानुसार मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ लेख देने के लिए इच्छुक पदाधिकारीगण से अनुरोध है कि उपरोक्त शर्तों के मद्दे नजर तैयार किए गए लेख दि.06.02.2025 तक या उससे पहले हिंदी कक्ष / लेखापरीक्षा-II को प्रस्तुत करें ताकि राजभाषा विभाग को निर्धारित समय पर अग्रेषित किया जा सके।

There is provision to give honorarium to the authors of selected research articles as per rules. The officials who would like to give articles for publishing in 'Rajbhasha Bharati' are requested to submit the articles prepared in view of the above conditions to *Hindi Cell/ Au. II on or before* <u>06.02.2025</u>, so that it could be forwarded to the Department of Official Language on time.

e-mail id:hindiersa.ker.au@cag.gov.in

(उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I) के आदेशानुसार / Vide orders of Dy.Accountant General (Admn & AMG I))

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी कक्ष

सेवा में

- 1. सभी अनुभाग/ All Sections
- 2. शाखा कार्यालय, तृशूर / Branch Office, Thrissur